न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 107 / 2016 **दायर दिनांक :—10.06.2016**

उनवान

1. छन्नू आयु 89 वर्ष पुत्र महमदा जाति मुसलमान निवासी गन्दोलिया हाल निवासी होली का खूंट सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल आयु 41 वर्ष पुत्र शंकरलाल जाति धाकड निवासी गन्दोलिया पोस्ट मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. शंकरलाल पुत्र औकारलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया पोस्ट मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

निर्णय

दिनांक 25 / 04 / 2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित, संक्षिप्त में वाद इस आश्य का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल गन्दोलिया पटवार क्षेत्र मेरमाचाह तहसील अटरू में खाता संख्या 72 का ख0ं0 724 / 891 का रकबा 0.13 है0, ख0नं0 726 का रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 का रकबा 0.46 है0 आराजी वादी के दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने जबरन दादागिरी के बल पर गत वर्ष कब्जा कर लिया वादी ने मना किया तो गाली गलोच की तथा लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व की सम्पर्ण आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

फरमाया जावे कि वह वादी को उसके स्वामित्व की आराजी पर शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नही है अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा बनाये रखा तो वादी को अपने कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को वादी के स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा वादी प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वादी के स्वामित्व की आराजी पर वादी को शांती पूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.04.2016 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा वादी के स्वामित्व की आराजी पर कब्जा करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 20.05.2016 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा आराजी पर से कब्जा नहीं छोडने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली होने से तथा राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 3 बनाकर यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि–

(अ) प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को वादी के स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के स्वामित्व की आराजी पर वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 छन्नू पुत्र महमदा जाति मुसलमान निवासी गन्दोलिया हाल होली का खूट सुकेत तहसील रामगंजमण्डी का शपथ पत्र पेश कर बताया कि ग्राम एवं माल गन्दोलिया पटवार क्षेत्र मेरमाचाह तहसील अटरू में खाता संख्या 72 का ख0नं0 724/891 का रकबा 0.13 है0, ख0नं0 726 का रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.46 है0 आराजी मेरे खाते दर्ज है जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने जबरन दादागिरी के बल पर वर्ष 2015 में कब्जा कर लिया मैने मना किया तो गाली गलौच की तथा लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गया। मेरे स्वामित्व की सम्पूर्ण आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बाबूलाल व शंकरलाल को बेदखल किया जाकर कब्जा मुझे दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह मेरे स्वामित्व की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

4. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहरया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के स्वामित्व की आराजी पर वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया । ग्राम गन्दोलिया की संवत 2072 से 2075 जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 72 की ख0नं0 724/891 रकबा 0.13 है0, ख0नं0

726 का रकबा 0.33 है0 किता 2 रकबा 0.46 है0 आराजी खातेदार छन्नू पुत्र हमीदा कोम मुसलमान के खाते दर्ज है। यदि किसी अभिलिखित खातेदार की भूमि पर कोई व्यक्ति बिना किसी Lawful Authority के कब्जा करता है तो ऐसे व्यक्ति को Trasfasser माना जावेगा और ऐसे Trasfasser को बेदखल किया जावेगा। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने और प्रतिवादी क्रम 3 तहसीलदार द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने से केवल वादीगण के शपथ पत्र एवं बयानों के आधार पर यह माना है कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादीगण की विवादित आराजी पर अवैध कब्जा कर रखा है।

6. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम गन्दोलिया के खाता संख्या 72 की ख0नं0 724/891 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 726 का रकबा 0.33 है0 किता 2 रकबा 0.46 है0 का राजस्व टीम बनाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का अवैध कब्जा पाये जाने पर उन्हें बेदखल कर वादीगण को 15 दिवस में कब्जा सौंपे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां